ई पत्रावली संख्या- 35871

प्रेषक,

विनीत कुमार,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग-2 देहरादूनः दिनांक 15 दिसम्बर,2022

विषयः- मा. मुख्यमंत्री घोषणा संख्या- 226/2022 के अन्तर्गत जनपद चम्पावत के विधानसभा क्षेत्र चम्पावत में सूखीढाँग-डांडा-मीनार मोटर मार्ग के किमी. 6 से किमी. 29.85 का पुनःनिर्माण एवं डामरीकरण का कार्य (विस्तृत आगणन) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य अभियन्ता, क्षे.का., लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा द्वारा विषयगत कार्य हेतु उपलब्ध कराये गये विस्तृत आगणन, मोटर मार्ग की कुल लम्बाई 24.85 किमी. एवं लागत ₹ 1787.00 लाख है, का परीक्षण शासन/टी.ए.सी., नियोजन विभाग से कराने के उपरान्त अनुमोदित धनराशि ₹ 1783.33 लाख के सापेक्ष मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में दिनांक 07.09.2022 को सम्पन्न हुई व्यय वित्त समिति की बैठक में औचित्यपूर्ण पायी गयी लागत **₹ 1783.33 लाख (रूपये सत्रह करोड़ तिरासी लाख तेंतीस हजार मात्र)** की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए, चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में व्यय हेतु ₹0.10 लाख (रूपये दस हजार मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन में रखे जाने की श्री राज्यपाल निम्नांकित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

i. विषयगत कार्य की स्वीकृति के सम्बन्ध में मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में दिनांक 07.09.2022 को सम्पन्न हुई व्यय वित्त समिति की बैठक के अनुक्रम में राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत कार्यवृत संख्या-1379/लोक निर्माण विभाग/ई.एफ.सी./रा.यो.आ./2022 दिनांक 29 सितम्बर, 2022 **(Attached)** के बिन्दु संख्या-5 के क्रमांक- 5.1 से 5.8 में वर्णित/उल्लिखित प्रतिबन्धों एवं शर्तों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए उक्त स्वीकृति के सापेक्ष व्यय की कार्यवाही की जाय तथा साथ ही विभागाध्यक्ष/सक्षम अधिकारी द्वारा प्लान, स्ट्रक्चर डिजायन एवं विशिष्टियों पर हस्ताक्षर अवश्य किये जायेंगे, ताकि भविष्य में प्लान, डिजाइन या विशिष्टियों में कार्यदायी संस्था या कान्ट्रेक्टर के स्तर से परिवर्तन कर कार्य की गुणवत्ता प्रभावित करने की प्रवृत्ति को रोका जा सके। उक्त के अतिरिक्त विषयगत कार्य के सम्बन्ध में शासन स्तर पर समय-समय पर आहूत बैठक में लिये गये निर्णयों का भी कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

ii. विस्तृत आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के सापेक्ष जो दरें शेड्यूल ऑफ रेट में स्वीकृत नही हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हों, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

iii. कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र पर नियमानुसार प्राधिकारी/सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय। यह भी देख लिया जाय कि उक्त कार्य इससे पूर्व अन्य विभागीय बजट से न कराये गये हों, यदि कराये गये हैं तो उस सीमा तक धनराशि की स्वीकृति के बाद आहरण नहीं किया जायेगा।

iv. कार्य पर मदवार उतना ही व्यय किया जाय जितनी मदवार धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

v. निर्माण सामग्री यथा रेत, बजरी, रोड़ी, सीमेण्ट तथा सरिया, Maxfpalt/Emulsion एवं अन्य प्रयुक्त निर्माण सामग्री का आई.एस. कोड के मानकों के अनुसार समय-समय पर N.A.B.L. द्वारा Accredited प्रयोगशाला में परीक्षण अवश्य कराया जाय।

vi. निर्माण कार्य की तृतीय पक्ष गुणवत्ता परीक्षण अवश्य सुनिश्चित किया जाय।

vii. निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व ड्राइंग एवं डिजाइन सक्षम अधिकारी से अवश्य अनुमोदित करायी जाय तथा तकनीकी स्वीकृति प्रदान करते समय आवश्यक मदों का ही समावेश किया जाया।

viii. **आगणन में लोक निर्माण विभाग की एस.ओ.आर. 2021-22 की दरें ली गई हैं एवं उसी के अनुरूप मदें एवं विशिष्टियां भी उल्लिखित हैं। विशिष्टियों एवं दरों में परिवर्तन की दशा में कार्य की कुल स्वीकृत लागत में भी परिवर्तन हो सकता है। ऐसी स्थिति में विभाग के विभागाध्यक्ष की स्वीकृति अनिवार्य होगी। अतः मितव्ययता के दृष्टिकोण से यह अपरिहार्य है कि विभाग योजना की तकनीकी स्वीकृति प्रदान करते समय उन्हीं मदों का आगणन में समावेश करेंगे, जो अपरिहार्य मदें हैं।**

ix. विभागीय दरों के अतिरिक्त जो कार्य नॉन शेड्यूल मदों के अन्तर्गत कराये जाने हैं, उनकी अधिप्राप्ति एवं क्रियान्वयन हेतु अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 का अक्षरशः पालन सुनिश्चित किया जाय।

x. मितव्ययता के दृष्टिकोण से यथासम्भव स्थानीय उपलब्ध सामग्री का ही उपयोग करेंगे तथा होने वाली बचतों से भी नियोजन को अवगत करायेंगे।

xi. योजना क्रियान्वयन में Cost Effectiveness के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

xii. कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

xiii. निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाये तथा विशिष्टियों के अनुरूप सामग्री ही प्रयोग में लायी जाये।

xiv. विस्तृत आगणन में प्राविधानित डिजायन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित कार्यदायी संस्था पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

xv. स्वीकृत किये जा रहे विस्तृत आगणन के प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति के आगणन के प्राविधानों में परिवर्तन (केवल अपरिहार्य स्थिति में ही) करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जाये।

xvi. प्रत्येक स्वीकृत योजना हेतु ठेकेदार के साथ गठित किये जाने वाले अनुबन्ध में, निर्माण से सम्बन्धित माईलस्टोन एवं समय-सारणी स्पष्ट रूप से उल्लिखित की जायेगी तथा अनुबन्ध के अनुरूप ठेकेदार द्वारा कार्य पूरा न किये जाने की दशा में नियमानुसार आवश्यक क्षतिपूर्ति अध्यारोपित करते हुए वसूली की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

xvii. ठेकेदार द्वारा समय से कार्य पूरा न करने की दशा में Debitable आधार पर अन्य एजेन्सी का अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 के अन्तर्गत नियमानुसार चयन कर निर्माण कार्य पूरा किया जायेगा। स्वीकृत निर्माण कार्य को किसी भी दशा में, शासन की पूर्वानुमति के बिना, अपूर्ण अवस्था में समाप्त नहीं किया जायेगा।

xviii. निर्माण कार्य को समयबद्ध रूप से पूर्ण किये जाने का समस्त उत्तरदायित्व सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता का होगा।

xix. यदि विषयगत कार्य में से किसी कार्य को लोक निर्माण विभाग के बजट से अथवा अन्य विभागीय

I/83704/2022

बजट से कोई धनराशि स्वीकृत की गई है तो उस योजना हेतु इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण न करके धनराशि शासन को समर्पित कर दी जायेगी।

xx. आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है, व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

xxi. स्वीकृत किये जा रहे कार्य हेतु वित्तीय हस्त पुस्तिका के सुसंगत नियमों, बजट मैनुअल तथा उत्तराखण्ड प्रॅक्यौरमेण्ट रूल्स-2017 एवं उक्त के विषय में समय-समय पर निर्गत समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।

xxii. वर्तमान में व्यय हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय 31.03.2022 तक सुनिश्चित किया जायेगा। यदि स्वीकृत कार्य के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होती है तो उसका व्यय संगत मद (चालू कार्यों) में निवर्तन में रखी गई धनराशि से किया जायेगा।

xxiii. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या- 2047/XIV-219(2006) दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

xxiv. आगणन गठित करते समय तथा कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली-2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

xxv. भूगर्भवेत्ता द्वारा सुझाये गये प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

xxvi. **विषयगत कार्य को नाबार्ड के अन्तर्गत वित्त पोषण किये जाने हेतु अग्रेत्तर कार्यवाही की जाये।**

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022-23 में लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं.-22 लेखाशीर्षक-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय -04 जिला तथा अन्य सड़कें-337 सड़क निर्माण कार्य -03 राज्य सेक्टर-0302 नया निर्माण कार्य-53 वृहद निर्माण (5054-04-800-03-02 से स्थानान्तरित) के नामे डाला जायेगा।

3- **ये आदेश वित्त अनुभाग-2 के कम्प्यूटरजनित क्रमांक- I/82891/2022 दिनांक 12 दिसम्बर, 2022 में प्रदत्त सहमति के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।**

संलग्नक:- यथोपरि।

भवदीय,

Signed by Vineet Kumar
Date: 15-12-2022 11:34:58

अपर सचिव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), उत्तराखण्ड, कौलागढ़, देहरादून।
2. सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, लोक निमार्ण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. सचिव, नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
6. जिलाधिकारी, चम्पावत।
7. मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, अल्मोड़ा।
8. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।

/83704/2022

10. वित्त अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन।
11. अधीक्षण अभियन्ता, तृतीय वृत्त, लोक निर्माण विभाग, पिथौरागढ़।
12. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, चम्पावत।
13. गार्ड फाईल।

Signed by Shyam Singh
Date: 15-12-2022 12:49:41

(श्याम सिंह)
संयुक्त सचिव

phone/ Fax:- 0135-2531154/2530431

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग
"नियोजन–।" उत्तराखण्ड़ देहरादून
Office of the Engineer in Chief, PWD, Dehradun Uttarakhand
Web-http://govt.ua.nic.in/pwd E-mail: eicpwduk@nic.in

पत्रांक– 1042 /20 याता0'क' /2022 दिनांक– 20.12.2022

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा।
2. अधीक्षण अभियन्ता, तृतीय वृत्त, लोक निर्माण विभाग, पिथौरागढ़।
3. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग, चम्पावत्।
4. अधिशासी अभियन्ता, आई0टी0सैल विभागाध्यक्ष, कार्यालय लोक निर्माण विभाग, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि उक्त शासनादेश की प्रति विभागीय "वैबसाईट" पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
5. कनिष्ठ अभियन्ता प्राविधिक/बजट वर्ग, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।

प्रशासनिक अधिकारी

/67208/2022 **लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा माननीय मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–226/2022 के अन्तर्गत जनपद चम्पावत में सूखीढांग–डांडा– मीनार मोटर मार्ग के किमी0 6 से किमी0 29.85 का पुनर्निर्माण एवं डामरीकरण का कार्य किये जाने हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव के अनुमोदनार्थ मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 07 सितम्बर, 2022 को आयोजित व्यय वित्त समिति की बैठक का कार्यवृत्त**

मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न व्यय वित्त समिति की बैठक दिनांक 07 सितम्बर, 2022 में उक्त प्रस्ताव पर विचार–विमर्श किया गया। बैठक में निम्न अधिकारीगण उपस्थित थे :–

1. श्री अहमद इकबाल, अपर सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. श्री रोहित मीणा, अपर सचिव, नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. श्री श्याम सिंह, संयुक्त सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. श्री गंगा प्रसाद पन्त, तकनीकी विशेषज्ञ, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड।
5. श्री विनोद कुमार, सलाहकार (अभियन्त्रण), राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड।
6. श्री ए0बी0 काण्डपाल, अधीक्षण अभियन्ता, पिथौरागढ।
7. श्री एन0एस0 कोलिया, अधीक्षण अभियन्ता, एच0ओ0डी0 ऑफिस, देहरादून।

1. **कार्य की आवश्यकता एवं औचित्य** :– सूखीढांग से रीठासाहिब की दूरी वाया चम्पावत 125.00 कि0मी0 है, उक्त दूरी को कम करने हेतु सूखीढांग डांडा मीनार मोटर मार्ग का स्टेज–1 का कार्य पूर्व में किया गया है जिससे रीठासाहिब की दूरी 70 कि0मी0 कम हो गयी है। उक्त मोटर मार्ग एन0एच0–09 के कि0मी0 76 से ब्रजनगर– तलियाबांज कि0मी0 6 से प्रारम्भ होकर कि0मी0 29.85 लम्बाई में टांण में पी0एम0जी0एस0वाई द्वारा निर्मित डामरीकृत मार्ग रीठा– साल टांण मोटर मार्ग में मिलता है। वर्तमान में मात्र 55 कि0मी0 के सापेक्ष 29.85 कि0मी0 ही कच्चा है जिसके कारण उक्त क्षेत्र के निवासियों तथा तीर्थयात्रियों को असुविधा का सामना करना पडता है। इस मार्ग के डामरीकरण हो जाने से रीठा क्षेत्र के निवासियों व तीर्थयात्रियों को यात्रा में सुगमता होगी एवं समय–धन की सुविधा होगी। मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा 202/2020 के अन्तर्गत मार्ग के 05 कि0मी0 भाग में पुनर्निर्माण एवं डामरीकरण कार्य हेतु लोक निर्माण अनुभाग–2 के शासनादेश संख्या–31012, दिनांक 29.08.2022 द्वारा रू0 307.04 लाख के प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी। अतः उक्त प्रस्ताव में मात्र 24.85 कि0मी0 लम्बाई का पुनर्निर्माण एवं डामरीकरण का कार्य प्रस्तावित किया गया है।
2. **भूमि की उपलब्धता** :– विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि मोटर मार्ग हेतु भूमि उपलब्ध है।
3. **योजना के अन्तर्गत प्राविधान** :– योजना हेतु गठित विस्तृत आगणन/डी0पी0आर0 में निम्न प्राविधान किया गया है :–
   1. मार्ग की लम्बाई 24.85 कि0मी0।
   2. मार्ग की चौडाई 5.95 मीटर।
   3. Blind Curves का Improvement।
   4. 01 मीटर स्पान के कल्वर्ट्स एवं काजवें।
   5. Retaining Wall / Breast Wall

क्रमशः पृष्ठ–2/–

6. Protection Work में Gabion का कार्य।
7. Super Elevation and Grade का Improvement ।
8. WBM में जी0–1 10 सेमी0, जी–2 7.5 सेमी0. जी–3, 7.5 सेमी0।
9. Surface Dressing हेतु Premix Carpet तथा सील कोट।
10. कच्ची एवं पक्की नाली।
11. पैरापिट, डेलीनेटरस तथा सूचना बोर्ड आदि।

4. **व्यय वित्त समिति की बैठक में प्रस्तुतिकरण हेतु राज्य योजना आयोग का अभिमतः–**

4.1 योजना के सम्बन्ध में विभागीय समिति की बैठक प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में दिनांक 01.08.2022 को सम्पन्न हुई जिसमें प्रस्तावित कार्यो के सम्बन्ध में समिति द्वारा सहमति प्रदान करते हुए प्रकरण की महत्ता एवं तत्कालिकता के दृष्टिगत प्रस्ताव को व्यय वित्त समिति में प्रस्तुत किये जाने की संस्तुति की गयी।

4.2 योजना का वित्त पोषण नाबार्ड से किया जाना प्रस्तावित है।

4.3 मार्ग के प्रत्येक कि0मी0 का Geo Technical Investigation, M/s Ambile Testing and Research Lab, Lucknow द्वारा किया गया है। मोटर मार्ग के सब ग्रेड की सी0बी0आर0 14.90 से 18.10 प्रतिशत आंकी गयी है।

4.4 मोटर मार्ग के क्रस्ट की डिजाइन नहीं की गयी है। प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग के पत्र संख्या–60/10 अधिप्राप्ति–प्रकीर्ण वर्क–उ0/19 दिनांक 14.01.2020 में दिये गये निर्देशानुसार क्रस्ट की मोटाई 25.00 सेमी0 का प्राविधान किया गया है। कार्य कराये जाने से पूर्व आई0आर0सी0 के प्राविधानों के अनुसार मार्ग के क्रस्ट की डिजाइन किये जाने पर भी विचार कर लिया जाय।

4.5 आगणन में दरे एस0ओ0आर0 2021 की ली गयी है।

4.6 प्रस्तावित योजना की लागत का विवरण निम्नानुसार है :–

S. No.	Particular	Amount
1	Total Cost of Work	15,38,90,029.59
2	Contingencies 3% + Quality Control 1%	59,76,311.82
3	Add GST 12%	1,84,66,803.55
	Total	**17,83,33,144.96**
	Grand Total	**1783.33 Lakh**

परियोजना की कुल लागत – रू0 1783.33 लाख

5. **<u>व्यय वित्त समिति में विस्तृत चर्चा के उपरान्त निर्णय</u> :–**

प्रश्नगत योजना के सम्बन्ध में व्यय वित्त समिति में विस्तार पूर्वक चर्चा की गयी, व्यय वित्त समिति द्वारा आगणन में प्रस्तावित सभी कार्यो को निर्धारित मानकों के अनुसार क्रियान्वयन हेतु निर्देश दिये गये।

लोक निर्माण विभाग के अनुरोध पर समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त उपरोक्त के आलोक में प्रस्तर–4.6 के अनुसार रू0 1783.33 लाख के प्रस्ताव/आगणन **को निम्न प्रतिबन्धों के साथ अनुमोदित किया गया** :–

क्रमशः पृष्ठ–3/–

5.1 कार्य पर मदवार उतना ही व्यय किया जाय जितनी मदवार धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

5.2 निर्माण सामग्री यथा रेत, बजरी, रोडी, सीमेन्ट तथा सरिया, Maxfpalt / Emulsion एवं अन्य प्रयुक्त निर्माण सामग्री का आई0एस0 कोड के मानकों के अनुसार समय–समय पर एन0ए0बी0एल0 द्वारा Accredited प्रयोगशाला में परीक्षण अवश्य कराया जाय।

5.3 निर्माण कार्य की तृतीय पक्ष गुणवत्ता परीक्षण अवश्य सुनिश्चित किया जाय।

5.4 निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व ड्राइंग एवं डिजाइन सक्षम अधिकारी से अवश्य अनुमोदित करायी जाय तथा तकनीकी स्वीकृति प्रदान करते समय आवश्यक मदों का ही समावेश किया जाय।

5.5 आगणन में लोक निर्माण विभाग की एस0ओ0आर0 2021–22 की दरें ली गई है एवं उसी के अनुरूप मदें एवं विशिष्टयां भी उल्लिखित है। विशिष्टयों तथा दरों में परिवर्तन की दशा में कार्य की कुल स्वीकृत लागत में भी परिवर्तन हो सकता है। ऐसी स्थिति में विभाग के विभागाध्यक्ष की स्वीकृति अनिवार्य होगी। अतः मितव्ययता के दृष्टिकोण से यह अपरिहार्य है कि विभाग योजना की तकनीकी स्वीकृति प्रदान करते समय उन्ही मदों का आगणन में समावेश करेंगे जो अपरिहार्य मदें है।

5.6 विभागीय दरों के अतिरिक्त जो कार्य नॉन शिड्यूल मदों के अन्तर्गत कराये जाने है उनकी अधिप्राप्ति एवं क्रियान्वयन हेतु अधिप्राप्ति नियमावली 2017 का अक्षरस पालन सुनिश्चित किया जाय।

5.7 मितव्ययता के दृष्टिकोण से यथासम्भव स्थानीय उपलब्ध सामग्री का ही उपयोग करेंगे तथा होने वाली बचतों से भी नियोजन को अवगत करायेंगे।

5.8 योजना क्रियान्वयन में Cost Effectiveness के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

व्यय वित्त समिति के उपरोक्त क्रमांक 5.1–5.8 तक निहित शर्तो का कडाई से पालन सुनिश्चित किया जाय।

उक्त प्रतिबन्धों का समावेश इस सम्बन्ध में जारी किये जाने वाले शासनादेश में अवश्यमेव कर लिया जाय।

अन्त में अध्यक्ष, व्यय वित्त समिति द्वारा बैठक में उपस्थित समस्त प्रतिभागियों के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही सम्पन्न हुई।

(रोहित मीणा)
अपर सचिव

क्रमशः पृष्ठ–4/–

उत्तराखण्ड शासन,
राज्य योजना आयोग
(नियोजन विभाग)
संख्या 1379 /लोक निर्माण विभाग/ई0एफ0सी0/रा0यो0आ0/2022
देहरादूनः दिनांकः 29 सितम्बर, 2022

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. प्रोग्रामर, राज्य योजना आयोग, को इस आशय से कि व्यय वित्त समिति के अनुमोदन को राज्य योजना आयोग की वेबसाइट में अपलोड करें।

(रोहित मीणा)
अपर सचिव

Signed by Rohit Meena
Date: 29-09-2022 16:08:02